DBT योजनांतर्गत व्यक्तिमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन नियमावली में संशोधन
अनुदान पर बकरा वितरण

क.	योजना	पूर्व अनुमोदित योजना	योजना में संशोधन हेतु प्रारूप
1	योजना का स्वरूप, एवं पात्र हितग्राही	योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को अनुदान पर उन्नत नस्ल (ग्रेडेड जमुनापारी / सिरोही / ब्लेकबंगाल नस्ल) का एक नर बकरा अनुदान पर प्रदाय।	योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को अनुदान पर उन्नत नस्ल (ग्रेडेड जमुनापारी/ ग्रेडेड सिरोही/ ग्रेडेड ब्लेकबंगाल नस्ल) का 01 बकरा क्रय हेतु अनुदान प्रदाय।
2	पशु क्रय प्रक्रिया	1. प्रदेश के विभागीय बकरी पालन प्रक्षेत्र में उपलब्ध प्रजनन योग्य नर बकरें, उनके पुस्तकीय मूल्य पर प्राथमिकता के आधार पर क्रय किये जावेंगे। शासकीय बकरी पालन प्रक्षेत्र से क्रय की दशा में पशुओं का पुस्तकीय मूल्य एवं परिवहन व्यय सहित, इकाई लागत होगा। **एवं/अथवा** 2. निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर, (परिवहन सहित) इकाई लागत होगी।	उन्नत नस्ल (ग्रेडेड जमुनापारी/ ग्रेडेड सिरोही/ ग्रेडेड ब्लेक बंगाल नस्ल) का प्रजनन योग्य एक बकरा आयु 01 से 02 वर्ष का हितग्राही द्वारा शासकीय बकरी पालन प्रक्षेत्र/स्थानीय तौर पर क्रय करेगा।
3	अनुदान पात्रता	1. इकाई लागत का 90% या अधिकतम रू. 4000.00 का अनुदान, जो भी कम हो (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये) 2. इकाई लागत का 75% या अधिकतम रू. 3500.00 का अनुदान, जो भी कम हो (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों के लिय)	1. इकाई लागत (क्रय मूल्य) का 90% या अधिकतम रू. 4000.00 का अनुदान, जो भी कम हो (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये) 2. इकाई लागत (क्रय मूल्य) का 75% या अधिकतम रू. 3500.00 का अनुदान, जो भी कम हो (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों के लिय)
4	अनुदान प्रदाय का स्वरूप	1. प्रदेश के विभागीय बकरी पालन प्रक्षेत्र में उपलब्ध प्रजनन योग्य नर बकरें, उनके पुस्तकीय मूल्य पर प्राथमिकता के आधार पर क्रय किये जावेंगे। 2. निविदा के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम दर, प्रस्तुत करने वाले निविदाकार की दरे अनुमोदित की जावेगी।	हितग्राही प्रजनन योग्य बकरा शासकीय बकरी पालन प्रक्षेत्र/स्थानीय तौर पर क्रय करेगा। संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच या नगरीय निकाय के पार्षद एवं स्थानीय पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ एवं स्थानीय सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी से भौतिक सत्यापन कराकर सत्यापित देयक पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के माध्यम से विभागीय जिला अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा। स्थानीय तौर पर बकरा क्रय करने की स्थिति में पंचायत शुल्क की रसीद प्रकरण के साथ हितग्राही को जंमा करना होगा।

नोटः—(1) प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) हेतु हितग्राही के संबंध में निम्नानुसार जानकारी संलग्न प्रपत्रानुसार आवेदन पत्र में अनिवार्य होगीः—

- हितग्राही का नाम
- योजना का नाम जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) दिया गया है
- बैंक एवं शाखा का नाम
- हितग्राही का बैंक एकाउंट नंबर
- बैंक का IFSC Code

(2) पात्र हितग्राही को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन ग्राम पंचायत से अनुशंसित कराकर जनपद पंचायत से अनुमोदित कराया जावेगा।

(3) जनपद पंचायत से अनुमोदन पश्चात् आवेदन जिला पंचायत (कृषि स्थायी समिति) में अनुमोदित कराया जावेगा।

(4) प्रकरण के अनुमोदन उपरांत चयनित हितग्राही को शासकीय प्रक्षेत्र/स्थानीय तौर पर पशु क्रय करने हेतु जिला अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जायेगा।

(5) हितग्राही प्रजनन योग्य बकरा शासकीय बकरी पालन प्रक्षेत्र/स्थानीय तौर पर क्रय करेगा। तत्पश्चात् संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच या नगरीय निकाय के पार्षद एवं स्थानीय पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ एवं स्थानीय सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी से भौतिक सत्यापन कराकर सत्यापित देयक पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के माध्यम से विभागीय जिला अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा। स्थानीय तौर पर बकरा क्रय करने की स्थिति में पंचायत शुल्क की रसीद हितग्राही को प्रकरण के साथ जमा करना होगा।

(6) तत्पश्चात् जिला अधिकारी के द्वारा हितग्राही के बैंक खाते में निर्धारित अनुदान राशि जमा की जावेगी तथा इस आशय की जानकारी हितग्राहियों को सूचित की जावेगी।

प्रपत्र

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (D.B.T.) के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की डिजिटल सूची हेतु प्रारूप

योजना का नाम ....

जिला का नाम ....

क्र.	हितग्राही का नाम	ग्राम का नाम	वि. ख. का नाम	BPL/APL	वर्ग				बैंक खाता नम्बर	बैंक का नाम	IFSC कोड	आधार कार्ड नम्बर (यदि है)
					ST	SC	OBC	GEN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13